कार्यालय पुलिस उपायुक्त यातायात जयपुर

क्रमांकः-ई-मेल **दिनांकः-05.10.2020**

श्रीमान् अति. महानिदेशक पुलिस,
(अपराध शाखा) राजस्थान जयपुर।

विषयः- सीएम हेल्पलाईन 181 परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार के परिवाद के संबंध में।
प्रसंगः- सीएम हेल्पलाईन संख्या 09200678685314 दिनांक 25.09.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगीय पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि सी.एम. हैल्पलाईन 181 परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा प्रेषित परिवाद की जांच अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात (उत्तर) जयपुर से करवाई गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट न्यूज कटिंग समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 07.09.2020 को प्रकाशित समाचार शीर्षक **''पांच माह में ट्रैफिक पुलिस, को नहीं मिला एक भी शराबी''** के संबंध में लॉकडाउन व कोविड-19 महामारी के तेजी से बढने के कारण राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-5) विभाग के पत्र क्रमांक प.9(14)गृह-5/2020 दिनांक 18.03.2020 के द्वारा यातायात पुलिस द्वारा ब्रेथ ऐनलाईजर मशीन का उपयोग अग्रिम आदेश तक नहीं करने हेतु रोक लगाई गई थी। नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने पर यातायात अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा वाहन चालको को नया मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन होने एवं यातायात नियमों की पालना हेतु अभियान चलाया जाकर केवल समझाईश की गई। वर्तमान मे नये मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है।

रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें प्रेषित है।

भवदीय

सहायक पुलिस आयुक्त (प्रोटोकॉल)
नोडल अधिकारी यातायात जयपुर